श्री मान् सम्मानित सदस्य महोदय, राजस्व मन्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (73)

म०प्र०

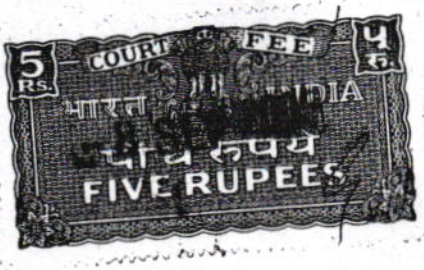

लालधारी तनय वृजनंदन गडेरी निवासी ग्राम बरवाडीह, तहसील

चितरंगी जिला सीधी म०प्र० ----- निगराकार

R 1475-III/05

बनाम

दुलारे तनय रामशरण गडेरी निवासी बरवाडीह, तहसील चितरंगी,

जिला सीधी म०प्र० -------- गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्रीमान्

अपर आयुक्त महोदय संभागरीवा जरिये

प्रकरण क्र० 45ए/2003 निर्णय दिनांक

31-8-05

श्री के०के० द्विवेदी अधि० द्वारा प्रस्तुत ... 8/9/05 को प्रस्तुत। 8/9/05

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता

संहिता सन 1959ई०

मान्यवर, निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होनेसे निरस्त किये जानें योग्य है।

2- यहकि गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील जाहिरा तौर पर बेरुम्याद थी, तथा उक्त अपील दायर करने मे हुये विलम्ब को माफ करने हेतु अपीलान्ट / गैरनिगरानीकर्ता द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत कियाथा, तथारेस्पा० / निगरानीकर्ता द्वाराउक्त आवेदन का जवाब पेश कर बहस भी की गयीथी किन्तु अधीनस्थन्यायालय धारा 5 म्याद अधिनियम केउक्त आवेदनपत्र का ... पर निर्णय पारित कियागयाहै,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1475–तीन/2005 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0एल0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री दुष्यंत सिंह चौहान उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 45ए/2003 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक के अधिवक्ता ने निगरानी मेमों में दर्शाये गये बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही एवं उचित है । कोई नामांतरण पंजी नहीं थी और न ही है । साथ ही विक्रय पत्र में जो भूमियां अंकित है वह विवादित नहीं है वे भूमियां आवेदक की है । अनावेदक का कोई स्वत्व विवादित भूमियों पर नहीं है । अनावेदक ने	

अपने तर्क में बताया कि उसके पिता रामशरण गड़ेरी की मृत्यु प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के पूर्व हो चुकी थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूरी कार्यवाही मृतक रामशरण गड़ेरी के नाम से चलायी जाती रही है । साथ ही दिनांक 08.07.93 को एक नोटिस आवेदक के नाम से अधीनस्थ न्यायलय ने तारी की जो अभिलेख में संलग्न है, जिसमें लिखा है कि रामशरण गड़ेरी की मृत्यु हो चुकी है फिर भी आवेदक लालधारी मृतक के स्थान पर उसके वारिस को पक्षकार नहीं बनाया गया और, मृतक के नाम से ही पूरी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलित रही। दिनांक 17.08.2000 को मृतक रामशरण गड़ेरी के वारिसों को पक्षकार बनाने हेतु एक आवेदन पत्र दिया गया था; जो अभिलेख में संलग्न है । लेकिन इसका उल्लेख आदेश पत्रिका में कहीं भी नहीं है और न ही कोई सूचना पत्र ही जारी किया गया । इसके बावजूद अनावेदक दुलारे का नाम अंकित कर दिनांक 30.09.2000 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो विधि के विरूद्ध है । साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि दुलारे के नाम से एक सम्मन दिनांक 09.01.2001 को जारी किया गया, जबकि आदेश इसके पूर्व दिनांक 30.09.2000 को पारित कर दिया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय नामांतरण पंत्रजी को फर्जी माना है और निर्णय में स्पष्ट लेख किया गया है कि नामांतरण पंजी उपलब्ध ही नहीं है ।

5/ प्रकरण में अभिलेखों के अवलोकन करने तथा तर्कों का परिशीलन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1973 में

ही पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक भूमिस्वामी अंकित और आज भी उक्त भूमियों पर काबिज है तथा राजस्व अभिलेखों में भी अंकित है । सन् 1984–85 में अधिकार अभिलेख का जो उद्धरण पेश किया गया है वह आदेश की श्रेणी में नहीं आता और न ही उसकी अपील ही की जा सकती है । अनावेदक लगातार भूमिस्वामी चला आ रहा है । इसलिये उक्त पंजी के बावत जो भी आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया है वह विधि–विरूद्ध है और अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने उक्त आदेश को निरस्त करने में कोई त्रृटि नहीं की है । मैं अपर आयुक्त के इस आदेश से सहमत हूँ । मेरे मतानुसार अपर आयुक्त रीव संभाग, रीवा ने जो आदेश पारित किया है, वह उचित है ।

6/ उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2005 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य